

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-28/2023-3689

व०प०, राँची, दिनांक-29/9/23

प्रेषक,

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

तकनीकी पदाधिकारी (वानिकी),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय,
हरमू चौक, राँची-834002

विषय :- पुलिस लाईन रामगढ़ के भवन निर्माण हेतु 13.047 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-860 दिनांक-28.08.2023 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (सभी अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

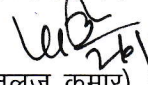
विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :-

- (i) प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रस्तावित 13.047 हे० वनभूमि के NPV की राशि का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाएगा।
- (iii) प्रस्तावित वनभूमि के विरुद्ध रामगढ़ वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा-बीचा, प्लॉट संख्या-44 में चिन्हित 26.10 हे० गैर वनभूमि का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
- (iv) चिन्हित 26.10 हे० गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
- (v) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन


(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वन भूमि-28/2023-3689

व०प०, राँची, दिनांक-29/9/23

प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु०-यथोक्त।


उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वन भूमि-28/2023-3689

व०प०, राँची, दिनांक-29/9/23

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/आरक्षी अधीक्षक, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप परामर्शी।

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 13.047 ha of Forest Land for Construction of Building of Police Line Ramgarh in Ramgarh Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 13.047 ha of Forest land with conditions as stated in the forwarding letter no.- 3689 dated-29/9/23



Rajdeep Sanjay Lal John

Additional Secretary

Forest, Environment & Climate Change Department,
Jharkhand Ranchi.

(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi